दिनांक......13.5.17........

पक्षकारान यथापूर्व उपस्थित।

राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर, पाली के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत [illegible] मुख्यालय के [illegible] सेवा केन्द्र पर राजस्व लोक अदालत [illegible] का [illegible] रखा गया है, [illegible] राजस्व न्याय [illegible] विचाराधीन व नवीन राजस्व प्रकरणों का [illegible] भावना के तहत पक्षकारों के [illegible] अथवा मेरिट के आधार पर [illegible] जायेगा।

[illegible] दोनों पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र ......कोलीवाड़ा...... पर आयंदा दिनांक 18.5.17...... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला-पाली

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष 2017

राजस्व वाद सं. 49/2016 प्रकाशकुमार बनाम रतन वगैरा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.1955

दिनांक 18.05.2017

पक्षकारान उपस्थित।

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोलीवाडा में बरोज आज पेश हुई। प्रश्नगत् मामले में पटवारी कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर ने वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश कर मुख्यतः रूप से जाहिर किया है कि सरहद मौजा जाखोडा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 233/2 रकबा 0.1470 हेक्टर वादी की खातेदारी है व खसरा नं. 240 रकबा 1.413 हेक्टर प्रतिवादी रतन की खातेदारी है। वादी व प्रतिवादी की खातेदारी के बीच खसरा नं. 234 गै.मु.रास्ता सिवायचक स्थित है जिसको वादी ने अतिक्रमण करके अपनी खातेदारी में मिला दिया है जिसके लिए धारा 91 एल. आर.एक्ट कार्यवाही द्वारा वादी को बेदखल कर दिया गया है। इस संदर्भ में वादी द्वारा श्रीमान ए.डी.एम. कोर्ट पाली में परिवाद पेश किया था जो वादी के विरूद्व फैसल हुआ। वादी ने सिवायचक गै.मु.रास्ता को अपनी खातेदारी में शामिल कर खातेदारी घोषणा व बंटवाडा का पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमावे।

अतः प्रश्नगत् मामले में पटवारी कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर की तथाकथित जांच रिपोर्ट के आधार पर वादी का यह वादपत्र प्रथमतः कानूनन चलने योग्य नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। यह आदेश राजस्व लोक अदालत केम्प–कोलीवाडा में बरोज़ दिनांक 18.05.2017 को सुनाया गया। [illegible] निर्णित में शुमार होकर नथर से [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी (सुमेरपुर) जिला-पाली

Scanned by CamScanner